भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 687

सोमवार, 24 जुलाई, 2023 / 2 श्रावण, 1945 (शक)

उद्योगों में दुर्घटनाएं

687. श्री अरविंद सावंतः
डॉ. संघमित्रा मौर्य:
श्री संजय जाधवः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न उद्योगों में होने वाली दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने दुर्घटनाओं की अत्यधिक संख्या का संज्ञान लिया है और यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान इन उद्योगों में महानिदेशालय फैक्ट्री सलाह सेवा एवं श्रम सस्थान महानिदेशालय द्वारा सूचित मौतों की संख्या कितनी है और उन्हें कितना मुआवजा दिया गया है;
(घ) इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
(ङ) क्या सरकार ने अपर्याप्त व्यावसायिक सुरक्षा के कारण हुई इस चूक के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों/उद्योग मालिकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है;
(च) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि इन कारखानों में सुरक्षा निरीक्षको, चिकित्सा निरीक्षकों और रसायन निरीक्षकों के लगभग 50 प्रतिशत पद रिक्त हैं; और
(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन उद्योगों में पर्याप्त संख्या में निरीक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): सरकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 का अधिनियमन किया है ताकि इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों में नियोजित कामगारों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण, जोखिमकारी प्रक्रियाओं, कार्य के घंटों, दण्डों और कार्यप्रक्रियाओं के संबंध में विस्तृत उपबंध किए गए हैं।

कारखाना अधिनियम, 1948 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का प्रवर्तन राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा उनके मुख्य कारखाना निरीक्षकों (सीआईएफ)/औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक (डीआईएसएच) के माध्यम से किया जाता है।

अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों के अधिभोगी और प्रबंधकों से अपेक्षित है कि वे कारखाना अधिनियम**, 1948** के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का पालन करें। इसके किसी भी उपबंधों के उल्लंघन के मामले में**,** राज्य सरकारों के सीआईएफ/डीआईएसएच को कारखानों के अधिभोगी और प्रबंधक के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त है।

कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीफासली**)**, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है, राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के सीआईएफ/डीआईएसएच के साथ पत्राचार के माध्यम से कारखाना अधिनियम**,** 1948 के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों में घातक और गैर-घातक दुर्घटनाओं की जानकारी एकत्र करता है।

डीजीफासली द्वारा राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, कैलेण्डर वर्ष 2017 से 2021 तक घातक और गैर-घातक दुर्घटनाओं का ब्योरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 92 और 96-क के अंतर्गत वर्ष 2017 से 2021 तक किए गए अभियोजनों और अपराधसिद्धियों का ब्योरा **अनुबंध-II** पर दिया गया है। दुर्घटनाओं के पीड़ितों को दिए गए मुआवजे का ब्योरा डीजीफासली द्वारा नहीं रखा जाता है।

इसके अलावा, कारखाना अधिनियम**,** 1948 को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशाएं संहिता, 2020 में सम्मिलित कर लिया गया है। इस संहिता को दिनांक 29 सितम्बर, 2020 को अधिसूचित किया गया है। तथापि, यह सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख से लागू होगी।

(च) और (छ): सुरक्षा निरीक्षकों, चिकित्सा निरीक्षकों औऱ रसायन निरीक्षकों के पदों को संबंधित राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा भरा जाता है और उनका व्यौरा भी उनके द्वारा रखा जाता है।

**

*****

अनुबंध-I

'उद्योगों में दुर्घटनाएं' के संबंध में पूछे गए दिनांक 24.07.2023 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 687 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत कारखानों में घातक और गैर-घातक चोटों का वर्ष-वार ब्योरा

वर्ष	चोटें	
	घातक	गैर-घातक
2017	1084	4866
2018	1154	4528
2019	1127	3927
2020	1050	2832
2021	988	2803

अनुबंध-II

'उद्योगों में दुर्घटनाएं' के संबंध में पूछे गए दिनांक 24.07.2023 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 687 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 92 और 96क के तहत अभियोजनों और अपराधसिद्धियों का वर्षवार ब्योरा

वर्ष	आरंभ किए गए अभियोजन	की गई अपराधसिद्धियां
2017	8603	6415
2018	9461	5000
2019	13354	7147
2020	7490	2563
2021	9068	5012

******